

FORM-I
(for linear projects)
Government of.....
Office of the District Collector, NAINITAL

No.....

Dated.. 29.12.2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.992 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of church, priest house, school (name of user agency) for(purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of.....village(s) intehsils, Ahowali Nainital

servant
quartersschool
teachers

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.992 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure...to...annexure.....
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

(DEEPAK RAWAT)

परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, _____
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, _____

उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत च. प्रीत ६३२५ २५०१
_____ (०-५५२१) हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयन वन भूमिहे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०-५५२१ हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक 24/12/14 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री आशीष चौहान उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री आशीष चौहान उपजिलाधिकारी नैनीताल
- 2- श्री प्र. ल. वि. वि. वि. उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल
- 3- श्री मुहम्मद खान सहायक समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल
- 4- श्री बि०डी०सी० क्षेत्र सदस्य नैनीताल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

परियोजना हेतु.....हे०
भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 01.9.52 ई०
हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षय
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम भवाली
तहसील बैनीताल, जिला बैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बैनीताल के अन्तर्गत चर्चा, पीरदाहा, एडर वन परियोजना भवाली के निर्माण हेतु (8.99.21) हे0 आरक्षित वन भूमि, 8.99.21 हे0 सिविल रीजम भूमि X हे0, वन पंचायत भूमि X हे0) अर्थात् कुल 0.9921 हे0 वन भूमि का विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भवाली द्वारा दिनांक 28.11.14 के सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी और आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * स्थापित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा और आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव

NBish 28/11/14
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, ग्राम प्रधान
भवाली बैनीताल

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी को किसी भूमि प्राप्ति की सूचना दी जाये, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २४-११-१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिपति

ग्राम पंचायत भताली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों की नाम	हस्ताक्षर
1	पिताजी नं. 1 व 2, गवामा बाबा	पिताजी
2	नेचल कहीराम नामित सदस्य नं. 10	नेचल
3	इंदरवीर स्वयंसेवक नामित नं. 5	इंदरवीर
4	विजयलाल नामित नं. 3, सवितादेवि	विजयलाल
5	श्रीगणेश नामित नं. 1 (सहायक)	श्रीगणेश
6	सुमनलाल - धर्मपाल नामित	सुमनलाल
7	श्रीगणेश नामित नं. 3, सवितादेवि	श्रीगणेश
8	श्रीगणेश नामित नं. 1 (सहायक)	श्रीगणेश
9	महादेव नामित नं. 1 (सहायक)	महादेव
10.	विजयलाल नामित नं. 3, सवितादेवि	विजयलाल

NBishik
28/11/14
H0, ~~...~~
नमस्कारिका नमस्कार
नमस्कार (नमस्कार)